

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

आदेश

संचिका संख्या : 10 / न 4-42 / 2011..... विभागीय पत्रांक-438 दिनांक-01.06.2011
द्वारा एकलव्य सेन्द्रल स्कूल, प्रताप नगर कॉलोनी, सहरसा को निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र
में विद्यालय का स्थलीय पता एकलव्य सेन्द्रल स्कूल, प्रताप नगर कॉलोनी, सहरसा है।

विद्यालय प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराये गये आवेदन पत्र के संदर्भ में अनापत्ति प्रमाण
पत्र निर्गत करने संबंधी बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में उक्त विद्यालय को स्थल
परिवर्तन करने की अनुमति दी जाती है।

अब उक्त विद्यालय का स्थलीय पता एकलव्या सेन्द्रल स्कूल, सुलिन्दाबाद, सहरसा
होगा।

शेष शर्तें यथावत रहेगी।

ज्ञापांक..... दिनांक.....

प्रतिलिपि : अध्यक्ष, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, शिक्षा केन्द्र, 2 कम्प्यूटिंग सेंटर
नई दिल्ली-110092 का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

(लक्ष्मण कुमार सिंह)
विशेष निदेशक, मा0 शिक्षा।

ज्ञापांक..... दिनांक.....

प्रतिलिपि : जिला शिक्षा पदाधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ
प्रेषित।

ह0/-

विशेष निदेशक, मा0 शिक्षा।

ज्ञापांक..... 1523 दिनांक..... 14/12/12

प्रतिलिपि : प्राचार्य, एकलव्य सेन्द्रल स्कूल, प्रताप नगर कॉलोनी, सहरसा का
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

विशेष निदेशक, मा0 शिक्षा।

Manager
Eklavya Central School
Affiliated to CBSE Aff. No. -330437
Sulindabad, Saharsa-852201.

Principal
Eklavya Central School
Sulindabad, Saharsa
Aff. No. -330437

विशेष निदेशक, मा0 शिक्षा।

बिहार सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

प्रेषक,

दशरथ राम
विशेष निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

सेवा में,

अध्यक्ष
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
शिक्षा केन्द्र, 2 कम्युनिटी सेंटर,
नई दिल्ली-110092

पटना, दिनांक 01/06/11

विषय : एकलव्य सेन्द्रल स्कूल, प्रताप नगर कॉलोनी, सहरसा को अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार सूचित करना है कि सरकारी अधिसूचना संख्या-238 दिनांक-03.04.2006 के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, सहरसा से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं विद्यालय प्रबंधन के द्वारा उपलब्ध कराये गये कागजात की समीक्षा अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु गठित विभागीय समिति द्वारा दी गई तथा एकलव्य सेन्द्रल स्कूल, प्रताप नगर कॉलोनी, सहरसा को सी0 बी0 एस0 ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने की अनुशंसा की गयी है।

समिति की अनुशंसा के आलोक में समीक्षोपरान्त स्थिति निम्नवत है :-

1. यह विद्यालय कोशी चैरिटेबल ट्रस्ट के अधीन संचालित है। इस ट्रस्ट में किसी एक व्यक्ति/परिवार का प्रभुत्व नहीं है। सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य का ब्यौरा दिया गया है तथा शपथ पत्र भी दिया गया है।
2. विद्यालय प्रबंधक द्वारा किसी अन्य निबंधित सोसाइटी/न्यास के फेन्चाईजी अथवा किसी विद्यालय के ब्रांड नेम उपयोग नहीं करने का दावा किया है।
3. विद्यालय को 2 एकड़ 5 डि0 भूमि 33 वर्षों की लीज पर उपलब्ध है। विद्यालय को पर्याप्त उपस्कर पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला भी उपलब्ध है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को स्थल निरीक्षण कर सुनिश्चित करना होगा कि विद्यालय की आधारभूत संरचना एवं सुविधाएँ बोर्ड के मानक के अनुरूप हैं।
4. विद्यालय में शिक्षक की नियुक्ति समाचार पत्रों में विज्ञापन निकालकर विहित प्रक्रिया के द्वारा किया गया है। विद्यालय में 16 शिक्षक हैं। सी0 बी0 एस0 ई0, नई दिल्ली को यह सुनिश्चित करना होगा कि शिक्षकों की योग्यता प्रशिक्षण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के मापदण्डों के अनुरूप है।
5. विद्यालय में हिन्दी अनिवार्य रूप से पढ़ाये जाने का दावा किया गया है।
6. विद्यालय द्वारा निर्धारित, शुल्कों, वार्षिक लेखा अंकेक्षण तथा वार्षिक प्रतिवेदन प्रतिवर्ष सार्वजनिक करने का आश्वासन दिया गया है। विद्यालय अपने आश्वासन के अनुरूप कार्रवाई करे इसे सी0 बी0 एस0 ई0, नई दिल्ली को सुनिश्चित करना होगा।
7. विद्यालय के द्वारा लिखित रूप से सहमति दी गयी है कि उसे विभागीय अधिसूचना संख्या-238, दिनांक 03.04.2006 में उल्लेखित अपेक्षित शर्तें स्वीकार है।

eth

Principal
Eklavya Central School
Affiliated to CBSE, Aff. No.
Sulindabad, Saharsa

Manager
Eklavya Central School
Affiliated to CBSE, Aff. No.-330437
Sulindabad, Saharsa-852201.

Principal
Eklavya Central School
Sulindabad, Saharsa
Aff. No.-330437

Principal
Eklavya Central School
Affiliated to CBSE, Aff. No.-330437
Sulindabad, Saharsa-852201

अपेक्षित शर्तों के अनुसार :-

3

- (i) विद्यालय में क्षमता का 25 प्रतिशत नामांकन पड़ोस में निवास करने वाले परिवार के बच्चों का नि:शुल्क किया जायेगा तथा उनसे दूरस्थ शुल्क अथवा किसी अन्य प्रकार का शुल्क नहीं लिया जायेगा। ऐसे बच्चों की श्रेणी में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक, विकलांग बालिकाएं तथा सामान्य श्रेणी के परिवार जिनकी आय 2,00,000/- रूपया प्रतिवर्ष से कम होगा को रखा गया है।
- (ii) विद्यालय में नर्सरी/के0 जी0 अथवा प्राथमिक कक्षा में नामांकन के लिए किसी तरह की प्रवेश परीक्षा/साक्षात्कार (बच्चों एवं माता/पिता सहित) नहीं लिया जायेगा। अगर नामांकन के लिए आवेदन निर्धारित क्षमता से अधिक हो तो खुले तरीका से Draw of Lots के माध्यम से नामांकन के लिए बच्चों का चयन किया जायेगा।
- (iii) नर्सरी/के0जी0 तथा प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रवेश लेने वाले बच्चों का विद्यालय से आवास की दूरी अधिकतम एक किलोमीटर एवं उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षा का नामांकन हेतु अधिकतम दूरी 3 किलोमीटर तक रहेगी।
- (iv) जिन बच्चों का नामांकन नहीं होता है उनसे ली गई आवेदन शुल्क की राशि का 80 प्रतिशत राशि वापस लौटाने की व्यवस्था होगी।

8. यद्यपि कि विद्यालय का निरीक्षण विभागीय पदाधिकारी के द्वारा किया गया है, फिर भी सी0 बी0 एस0 ई0, नई दिल्ली अपने स्तर से जाँच कर यह सुनिश्चित हो लें कि विद्यालय उनके निर्धारित मापदण्ड के आधार पर संचालित है।

9. साथ ही बोर्ड का यह सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित विद्यालय के द्वारा अपनी सहमति के अनुसार अनिवार्य एवं अपेक्षित शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है। स्कूल को यह शर्त सार्वजनिक करनी होगी तथा इसका उल्लेख प्रोस्पेक्टस एवं वेबसाइट में करना होगा। शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जायेगा तथा सम्बन्धन रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी।

10. विभागीय पत्रांक-46, दिनांक 18.01.2008 द्वारा शिक्षक/छात्रों को शारीरिक दण्ड नहीं दिए जाने संबंधी आदेशों का विद्यालयों द्वारा पालन करना होगा।

11. विद्यालय बिहार सरकार के शिक्षा विभाग अथवा स्वास्थ्य विभाग के नियंत्री पदाधिकारी के द्वारा निरीक्षण हेतु किसी भी समय खुला रहेगा।

12. उपरोक्त तथ्यों के आलोक में तथा वर्धित शर्तों के आधार पर एकलव्य सेन्द्रल स्कूल, प्रताप नगर कॉलोनी, सहरसा को इस शर्त पर सी0 बी0 एस0 ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दी जाती है कि विद्यालय दो वर्षों के अन्दर अपने नवनिर्मित भवन सुतिन्दाबाद, सहरसा में संचालित होगी एवं वर्तमान में संचालित स्थल पर विद्यालय का संचालन बंद कर देगी, अन्यथा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

अनुलग्नक :- जिला शिक्षा पदाधिकारी सहरसा का जाँच प्रतिवेदन संलग्न

Principal

Eklavya Central School
Affiliated to CBSE, Aff. No. 33043;
Sulindabad, Saharsa-852201

(पराशर राय)

विशेष निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

Principal
Eklavya Central School
Sulindabad, Saharsa
Aff. No. 330437

शापांक 438

दिनांक 01/06/11

प्रतिलिपि : जिला शिक्षा पदाधिकारी सहरसा को उनके पत्रांक 241 दिनांक 29.04.2011 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

501-

विशेष निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

Manager
Eklavya Central School
Affiliated to CBSE, Aff. No. 330437
Sulindabad, Saharsa-852201

शापांक 438

दिनांक 01/06/11

प्रतिलिपि : प्राचार्य, एक-लव्य सेन्द्रल स्कूल, प्रताप नगर कॉलोनी, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

विशेष निदेशक, माध्यमिक शिक्षा